न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी राकेशकुमार न्योल,आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 140 / / 2024 (रे.वाद)

दायर दिनांक :– 04 / 09 / 2024

निर्णय दिनांक :– 10/09/25

अनवान्

1. सलीम मोहम्मद पिता अजिज मोहम्मद मुसलमान निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. जेतुन पत्नि अजिज मोहम्मद मुसलमान निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. अयुब मोहम्मद पिता अजिज मोहम्मद मुसलमान निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. हारून मोहम्मद पिता अजिज मोहम्मद मुसलमान निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. बाबु मोहम्मद पिता अजिज मोहम्मद मुसलमान निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

वादीगण

बनाम

1. रतनलाल पुत्र देवीलाल कीर निवासी निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. जशोदा पुत्री देवीलाल कीर निवासी निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. देउ बाई पुत्री देवीलाल कीर निवासी निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. मजु पुत्री देवीलाल कीर निवासी निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. कमला बाई पत्नि देवीलाल कीर निवासी निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. राधा पुत्री देवीलाल कीर निवासी निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

वादी की ओर से – 1. श्रीमुरलीधर दशोरा 2.श्रीरमेशचन्द्र अहिर अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से – 1. पेरोकार सरकार

दिनांक –

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम गिलुण्ड के साबिक आराजी न. 471 रकबा 17 बिस्वा भूमि रूपा पिता रता कीर के नाम से दर्ज रिकार्ड थी उक्त आराजीयात को रूपा पिता रता कीर ने सम्पुर्ण हिस्से को अजीज मोहम्मद पिता दीन मोहम्मद को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तरण सख्या 554 पर दर्ज हुआ जिसे जमाबंदी सम्वत 2022 से 2025 पर अमलदरामद कर दाखिला लगाया एवम मौके पर क्रेता अजीज मोहम्मद पिता दीन मोहम्मद को कब्जा सौप दिया तब से हि अजीज मोहम्मद ने एवं उसके बाद वादीगण उक्त जमीन का उपयोग उपभोग कब्जा कास्त करते चले आ रहे हैं। तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों ने संवत 2022 से 2025 कि जमाबंदी में वादीगण के पिता के नाम वाद पत्र कि पेरा संख्या 01 में वर्णित आराजी दर्ज तो कर दिया लेकिन उस दाखिले के अनुसार आगे कि जमाबंदी में क्रेता का नाम इन्द्राज नही किया एवम विक्रेता का नाम ही नई जमाबंदी में दर्ज रखा जिस कारण उक्त जमीन रूपा पिता रता कीर के नाम पर ही चली आ रही थी जिसकी जानकारी वादीगण के पिता को नहीं थी क्योंकि उक्त जमीन पर वादीगण के पिता ही कब्जे कास्त उपयोग उपभोग में थी उनके बाद वादीगण हि उक्त जमीन पर कब्जा कास्त कर रहे है वादीगण को जब लोन कि आवश्यकता हुई एवम राजस्व रिकार्ड कि नक्ले प्राप्त कि तो उन्हें पता चला कि वादग्रस्त जमीन जो वादीगण के पिता ने प्रतिवादी के पुर्वजो से खरीदी है वह प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है जिस कारण वादीगण कि और से समस्त राजस्व रिकार्ड कि नकले प्राप्त कर उक्त वाद पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं। आराजी सख्या 471 रकबा 17 बिस्वा जमीन रूपा पिता रता कीर के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 552 के जरिये नाम पर आई उसके बाद रूपा पिता रता कीर ने अजीज मोहम्मद पिता दीन मोहम्मद को विक्रय कि जो नामान्तरण संख्या 554 दर्ज हो अजीज मोहम्मद पिता दीन मोहम्मद के नाम नामान्तरनण फैसला कर उक्त आराजी उनके नाम दर्ज करने कि स्वीकृति हुई जिसका दाखिला लगा दर्ज कि गई दोनों नामान्तरण व जमाबंदी कि प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। वादीगण को जब लोन लेने हेतु राजस्व रिकार्ड कि नकले प्राप्त कि तो पता चला कि पाद ग्रस्त जमीन उनके नाम पर नही हो कर प्रतिवादीगण के नाम पर है तो वादीगण ने आराजी संख्या 471 का मिलान खसरा कि प्रमाणित प्रति प्राप्त कि तो जानकारी में आया कि साबिक आराजी नम्बर 471 के वर्तमान आराजी नम्बर 1965 बने हैं एवं उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

जिस कारण वादीगण द्वारा उक्त घोषणा का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा रहा हैं प्रतिवादीगण रूपा पिता रता के विधिक वारिश होने के कारण उक्त आराजीयात उनके नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस कारण उक्त आराजी संख्या 1965 रकबा 18 बिस्वा भूमि को वादीगण के नाम दर्ज किये जाने कि घोषणा कि डिक्री प्रदान करायी जाने बाबत यह वाद प्रस्तुत हैं। मिलान खसरा एवं वर्तमान जमाबंदी कि प्रमाणित प्रतिया साथ सलंग्न हैं। वर्तमान आराजी संख्या 1965 रकबा 18 बिस्वा जमीन वादीगण के नाम घोषणा किये जाने के पश्चात वादीगण के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में प्रतिवादी कोई बाधा हस्तक्षेप कारित नही करे इस बाबत उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्ध कराना फरमावें। प्रतिवादी संख्या 07 राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने से उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनसे किसी प्रकार की कोई दाद नही चाही गयी है। आज से दो माह पुर्व वादीगण को वाद ग्रस्त जायदाद उनके नाम दर्ज कराने बाबत की तो उन्होने दर्ज कराने से मना कर दिया जिससे वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करने हेतु उत्पन होकर निरन्तर जारी हैं। अतः प्रार्थना है के वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय कि डिक्री पारित फरमाई जावें कि वादग्रस्त आराजी संख्या 1965 रकबा 18 बिस्वा भूमि का वादीगण के पक्ष में स्वत्व घोषणा कि डिक्री पारित फरमाई जा कर प्रतिवादीगण के नाम विलोपित कर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने का आदेश प्रदान करावें। घोषणा पश्चात वादीगण को प्राप्त आराजीयात में उनके उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण कोई बाधा हस्तक्षेप कारित नही करें। इस बाबत उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा की ड्रिक्री से प्रतिबदित फरमाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 06 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रतिवादी संख्या 07 पेरोकार सरकार के विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 सलीम मोहम्मद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी संवत् 2077 की नकल प्रदर्श–01, मेवाड सेटलमेन्ट की जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–02, संवत् 2022 से 15 की जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–04, नामान्तरकरण संख्या 554 की नकल प्रदर्श–05, सेटलमेन्ट का मिलान खसरा की नकल प्रदर्श– 06 व 07 के प्रस्तुत किये गये।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस अपने वादपत्र को दौहराया गया एवं वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्त वाद की एक तरफा बहस पर चिन्तन व मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि मिलान खसरा प्रदर्श–06 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त वर्तमान आराजी संख्या 1965 के गत भू–माप के साबिक आराजी संख्या 471 थे, प्रदर्श–02 एवं 03 में वादग्रस्त भूमि के साबिक आराजी संख्या 471 इन्दरमल एवं उसके पूर्वाधिकारियों के नाम दर्ज थी। प्रदर्श–04 अनुसार वादग्रस्त साबिक आराजी संख्या इन्दरमल महाजन से रूपा द्वारा खरीदी गयी एवं रूपा द्वारा उक्त भूमि वादीगण को विक्रय की गयी जो प्रदर्श–05 नामान्तरकरण संख्या 554 से स्पष्ट जाहिर है। जिससे वादीगण सद्भावी क्रेता होकर उक्त भूमि को प्रतिवादीगण के नाम अंकित किया जाकर एक विधिक त्रुटि की गयी है। ऐसी स्थिति में वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपना वादपत्र सिद्व करने में सफल रहे है।

: : आदेश : :

अतः वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपना वादपत्र सिद्व करने में सफल रहने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किय जाकर राजस्व ग्राम गिलुण्ड पटवार हल्का गिलुण्ड तहसील रेलमगरा के वादग्रस्त आराजी संख्या 1965 रकबा 18 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 06 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग में वादीगण को किसी भी रूप में बाधा व दखलन्दाजी उत्पन्न नही है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10/09/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :–140 / 2024

वादी पक्ष :–

1. सलीम मोहम्मद पिता अजिज मोहम्मद मुसलमान निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. जेतुन पत्नि अजिज मोहम्मद मुसलमान निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. अयुब मोहम्मद पिता अजिज मोहम्मद मुसलमान निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. हारून मोहम्मद पिता अजिज मोहम्मद मुसलमान निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. बाबु मोहम्मद पिता अजिज मोहम्मद मुसलमान निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीपक्ष :–

1. रतनलाल पुत्र देवीलाल कीर निवासी निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. जशोदा पुत्री देवीलाल कीर निवासी निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. देउ बाई पुत्री देवीलाल कीर निवासी निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. मजु पुत्री देवीलाल कीर निवासी निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. कमला बाई पत्नि देवीलाल कीर निवासी निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. राधा पुत्री देवीलाल कीर निवासी निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वादी की ओर से – 1. श्रीमुरलीधर दशोरा 2.श्रीरमेशचन्द्र अहिर अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से – 1. पेरोकार सरकार

में इस आशय मे दिनांक को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपना वादपत्र सिद्व करने में सफल रहने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किय जाकर राजस्व ग्राम गिलुण्ड पटवार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

हल्का गिलुण्ड तहसील रेलमगरा के वादग्रस्त आराजी संख्या 1985 रकबा 18 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 08 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 08 वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग में वादीगण को किसी भी रूप में बाधा व दखलन्दाजी उत्पन्न नही है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 10/09/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(राकेश कुमार न्यांल)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा